पॉलिसी ब्रीफ

दिसम्बर, 2017

पंचायतों की स्वयं की आय: विकल्प और विकास की नीति
(झारखण्ड के ग्राम पंचायतों के संदर्भ में)

1. पृष्ठभूमि

देश के सभी नागरिकों के चहुँमुखी विकास के लिये यह जरूरी है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ ही स्थानीय सरकारें (ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय) भी विकास के कामों से जुड़े सभी प्रयासों में समान रूप से शामिल हों। विकास के कामों में परिस्थितियों के विश्लेषण से लेकर उनमें विकास के लिये योजनाओं को बनाना, उनको क्रियान्वित करने के लिये संसाधनों (आय) को जुटाना, क्रियान्वयन के दौरान समुचित देख–रेख, योजना के व्यय और उससे संबंधित खातों का प्रबंधन तथा योजना से होने वाले लाभों के मूल्यांकन के आधार पर नयी परिस्थितियों का विश्लेषण करने जैसे काम केन्द्र और राज्य सरकारों की ही तरह स्थानीय सरकारों को भी करना जरूरी है। पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय सरकारों, विशेषकर ग्राम पंचायतों के द्वारा अभी तक सबसे कम ध्यान स्वयं की आय को बढ़ाने पर दिया गया है।

संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा स्थापित धारा 243(जी) में कहा गया है कि राज्य सरकारों के द्वारा इस प्रकार के उपाय किये जायेंगे जिससे पंचायतें अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं को बना सकें। इस काम को करने में होने वाले वित्तीय संसाधन को इकट्ठा करने के लिये संविधान ने राज्यों को ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे पंचायतें अपनी स्वयं की आय को कर, शुल्क या फीस लगा कर इकट्ठा कर सकें (धारा 243एच)। पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिलाने और उनकी वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिये संविधान में राज्यों के स्तर पर राज्य वित्त आयोग के गठन की बात भी इसी लिये की गयी है (धारा 243आई)।

वर्ष 2004 में आयोजित केन्द्र और राज्य सरकारों के पंचायती राज मंत्रियों/प्रभारी मंत्रियों के पहले गोलमेज सम्मेलन (24–25 जुलाई, कलकत्ता) में भी एक संकल्प के माध्यम से यह तय किया गया था कि राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने के लिये पंचायतों को स्वयं की आय को बढ़ाने के लिये आवश्यक अधिकार शीघ्र दिये जायें। इस संबंध में समय–समय पर केन्द्रीय वित्त आयोगों के द्वारा भी अनुशंसायें की जाती रही हैं। भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग के द्वारा दी गयी अनुशंसाओं में ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वयं की आय को बढ़ाने की बात पर जोर देते हुये 10 प्रतिशत के परफॉर्मेन्स राशि को भी इससे जोड़ दिया गया है।

2. झारखण्ड में पंचायतों की स्वयं की आय संबंधी नियम

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम (2001) में पंचायतों के विभिन्न स्तरों द्वारा करों को लगाने तथा उन्हें इकट्ठा करने का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य में पंचायतों के द्वारा विभिन्न स्रोतों से कर और गैर कर राशि को इकट्ठा करने के लिये कानूनी ढांचा उपलब्ध है। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम की धारा 93 के अनुसार ग्राम पंचायतें अपनी स्वयं की आय को निम्नलिखित स्रोतों से इकट्ठा कर (बढ़ा) सकती हैं–

(1) करों से

(अ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जमीन पर वार्षिक कर

(ब) ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों के द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय/व्यापार पर वार्षिक कर

(2) शुल्क से

(अ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऐसे वाहनों के पंजीकरण से जिनका किसी और विधि से कहीं और पंजीकरण नहीं हुआ है

(ब) ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले ऐसे हाट बाजार, मेलों, पूजा स्थानों या अन्य स्थानों पर सूचनाओं के आधार पर उपलब्ध कराई गई शौचालय और साफ–सफाई की दी गई सुविधाओं और उनके प्रबंधन के उपयोग से

(स) ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाइप लाइन या किसी अन्य प्रकार से पीने और सिंचाई के लिये किये जाने वाले पानी की आपूर्ति के उपयोग से

(द) ग्राम पंचायत क्षेत्र मे पंचायत द्वारा निजी या सार्वजनिक स्थानों (गली/मुहल्लों) पर उपलब्ध कराई गयी प्रकाश व्यवस्था के उपयोग से

(य) ग्राम पंचायत क्षेत्र मे पंचायत द्वारा निजी शौचालय/पेशाब घर इत्यादि की सफाई के बनायी गयी नालियों से

(3) राज्य सरकार के द्वारा तय किये गये विषयों पर भी ग्राम पंचायतें कर लगाकर और उन्हें इकट्ठा करने से

वर्ष 2016 में राज्य सरकार के शहरी और आवास विकास विभाग, झारखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उद्योग, खान और भूगर्भ विभाग) तथा ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग के द्वारा **झारखण्ड यूनीफाइड़ बिल्डिंग बाइलॉज** भी बनाया गया। इस बाइलॉज में भूमि विकास की अनुमति के लिये शुल्क लेने तथा पक्के घरों/ढ़ाँचों के निर्माण के लिये कर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के एक और आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों को अपनी सीमा क्षेत्र में आने वाले बालू घाटों पर कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

3. झारखण्ड में पंचायतों की स्वयं की आय संबंधी अनुभव

झारखण्ड में ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वयं की आय को बढ़ाने के संबंध में अनुभवों को जानने से पहले राज्य की ग्राम पंचायतों की क्षमताओं को जानना भी जरूरी है। नये राज्य के रूप में गठित होने के बाद झारखण्ड में पहली बार पंचायतों का गठन 2010 में कराये गये चुनाव के बाद हुआ। इस आधार पर देखा जाय तो राज्य के लिये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था थोड़ी नयी लगती है। किन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने संबंधी विषय पर सही तरीके से उन्मुखीकरण और संबंधित संस्थाओं का उपयुक्त क्षमता विकास नही किया गया। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये बनाये गये प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों (राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान) के चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुभव बताते है कि इन संस्थानों के द्वारा पंचायतों की स्वयं की आय पर अभी तक कोई प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार ही नही की गयी है। ऐसे में पंचायतों की क्षमता के संबंध में चर्चा बेमानी होगी।

4. पंचायतों की स्वयं की आय के संबंध में अन्य राज्यों की स्थिति

ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय के संबंध में अन्य राज्यों की बात करें तो एक मिली–जुली किन्तु प्रगतिशील तस्वीर दिखायी देती है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के 2017 आँकड़ों के अनुसार देश के लगभग 20 राज्यों में ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वयं की आय को इकट्ठा करने की जानकारी दी गई है।

देश के विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्वयं की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय

क्रम	राज्य	प्रति व्यक्ति स्वयं की आय (रू0 में)	
		2015–16	2016–17
1	आन्ध्र प्रदेश	883.6	975.9
2	असम	30.4	48.5
3	छत्तीसगढ़	190.0	–
4	गोवा	799.5	–
5	हरियाणा	393.4	501.8
6	कर्नाटक	127.8	77.8
7	केरल	313.6	447.3
8	महाराष्ट्र	97.4	–
9	ओडिशा	8.1	8.7
10	सिक्किम	68.0	68.0
11	तमिल नाडु	166.1	–
12	तेलंगाना	143.6	192.2
13	उत्तराखण्ड	33.4	45.5
14	पश्चिम बंगाल	31.2	32.5

स्रोतः *पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार 2017।*

इनमें से आन्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल, हरियाणा, तमिल नाडु, तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहाँ की ग्राम पंचायतें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 900 रूपये तक की आय जुटाने में सफल हो रही हैं। कुछ छोटे राज्यों जैसे सिक्किम और त्रिपुरा के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिये गये हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि देश के विभिन्न राज्य अपने ग्राम पंचायतों के द्वारा उनके स्वयं की आय को बढ़ाने के प्रति एक सकारात्मक सोच को आगे रखकर अनको बढ़ाने के लिये अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और ग्राम पंचायतें उन अवसरों का समुचित उपयोग भी कर रही हैं।

किन्तु यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निकाले गये आदेशों के आधार पर राज्य की कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों ने स्वयं की आय को पैदा करने की दिशा में पहल की है। वर्तमान समय में राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतें बालू घाट के ठेके के अतिरिक्त टैंकर से जल आपूर्ति करके, हाट बाजार और वाहनों से शुल्क वसूल करके अपनी कुछ आप बढ़ाने में सफल हुई हैं। यद्यपि यह भी सही है कि ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या राज्य में अत्यन्त कम है।

5. झारखण्ड में पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाने में चुनौतियाँ

नये राज्य के रूप में गठित होने के शुरूआती दौर की चुनौतियों से उबरने के बाद पंचायत के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के द्वारा अपने पदों को संभालने के साथ ही राज्य सरकार के ग्रामीण विकास (पंचायती राज) समेत अनेक विभागों द्वारा पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू कराने के लिये अनेक आदेश, अधिसूचना, दिशा–निर्देश, परिपत्र और प्रपत्र जारी किये गये हैं। किन्तु ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने के संबंध में समुचित प्रशिक्षण और पठन सामग्रियों का अभाव के कारण राज्य के अधिकांशे ग्राम पंचायतों के प्रमुख पदाधिकारियों में ग्राम पंचायतों के स्वयं की आय को लेकर जानकारी और स्पष्टता का अभाव है।

हाल ही में पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से किये गये एक अध्ययन से यह जानकारी मिली कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा जारी किये गये सभी आदेश और दिशा–निर्देश ग्राम पंचायतों तक समय पर नहीं पहुँच रहे हैं। कई आदेशों की जानकारी तो विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों को भी नहीं है। उदाहरण के लिये सर्वेक्षण में शामिल 5 जिलों 10 विकास खण्डों में झारखण्ड यूनीफाइड़ बिल्डिंग बाइलॉज की जानकारी ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी को नहीं थी। जिला स्तरीय अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर किये गये भूमि विकास पर लगने वाली फीस या जुर्माने की राशि को किस स्तर के अधिकारी के पास या किस कार्यालय में जमा कराया जायेगा। इस जमा की गई राशि में से कितनी राशि ग्राम पंचायत को दी

जायेगी और कितनी राशि राज्य सरकार के खाते में जायेगी इसको लेकर राज्य स्तर के अधिकारी भी उत्तर देने में असमर्थ दिखे।

झारखण्ड में ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने में सहयोगी पक्ष

- झारखण्ड में ग्राम पंचायतों का गठन 5000 की आबादी पर किया गया है जो कि किसी ग्राम पंचायत के स्वयं की आय को इकट्ठा करने की दृष्टि से अनुकूल है।
- राज्य की लगभग 88 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के खाते मे 25 लाख से 50 लाख तक की राशि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिल रहे हैं जो उनकी आय का सबसे बड़ा साधन है।
- राज्य के 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 5000 से 6500 के बीच की है और लगभग 38 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की आबादी 6500 से अधिक है।
- मात्र रू0 50 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से आय अर्जन कर राज्य की ग्राम पंचायतें अपने कुल वार्षिक बजट का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा संग्रह कर सकती हैं। इस दर से राज्य के कुल ग्राम पंचायतों के द्वारा इकट्ठा की गयी कुल आय लगभग 125 करोड़ रूपये होगी।
- दूसरे राज्यों की तरह यदि झारखण्ड की ग्राम पंचायते रू0 100 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से स्वयं की आय बढ़ा बढ़ा पाये ंतो कुल संभावित आय लगभग 250 करोड़ रूपये होगी। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के कामों के लिये व्यय की जाने वाली राशि का प्राथमिकता वाले दूसरे कामों में उपयोग किया जा सकता है।

प्रिया के द्वारा राज्य में ग्राम पंचायतों की स्वयं के आय विषय पर किये गये अध्ययन से कुछ और जानकारियाँ भी मिली जिन्हें बिन्दुवार निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है–

- ग्राम पंचायत के स्तर पर करों को इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों (क्षमताओं) का अभाव। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर पर कर अधिकारियों और विकास खण्ड के स्तर पर ऑडिटरों की नियुक्ति का प्रावधान कर एक सकारात्मक वातावरण बनाया गया है।
- ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों में स्वयं की आय को बढ़ाने के लिये कोई उत्साह नहीं। तमिल नाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय उनके द्वारा अर्जित की गयी स्वयं की आय से देने का प्रावधान है जिसके कारण उनमें पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने के लिये उत्साह का वातावरण बना है।
- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में स्पष्टता का अभाव। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में से कुछ राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में किये जाने का प्रावधान है। सिक्किम और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस व्यय का उपयोग मानव संसाधनों की नियुक्ति में किया जा रहा है जबकि झारखण्ड में इस पर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।

6. झारखण्ड में पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाने के उपाय

प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर झारखण्ड के ग्राम पंचायतों में अपनी स्वयं की आयं को बढ़ाने की प्रचुर संभावनायें मौजूद हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ने से जहाँ एक ओर स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं को बनाने के काम में तेजी आयेगी वहीं योजनाओं के निर्माण में लोगों की भागेदारी को भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किन्तु इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार को एक ठोस और नीतिगत पहल करते हुये राज्य में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी निभाते हुये अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की भी जरूरत है।

राज्य में ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने के संबंध में निम्नलिख्ति प्रयासों को तत्काल किये जाने की जरूरत है–

- **स्पेशल परपज वेहिकल का गठन** – राज्य सरकार की ओर से एक नीतिगत निर्णय लेते हुये ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग के अन्तर्गत एक इकाई का गठन किया जाय जो पंचायतों के, विशेष कर ग्राम पंचायतों के स्वयं की आय को बढ़ाने के लिये प्रयास करे। 250 करोड़ रूपये या उससे अधिक के आय की संभावनाओं को देखते हुये इस इकाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार के निदेशक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को दी जाय।
- **नियमों और नियंत्रण में बदलाव** – झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों की यह जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों आर्थिक विकास के लिये और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये योजनाओं को बनाया जाय। वर्तमान में ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि कई प्रकार की शर्तों के साथ मिलती है। ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय के बढ़ने से इस प्रकार के शर्तों और बंधनों को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को ग्राम पंचायतों पर भरोसा करते हुये सोशल ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिये सरकार के अधिकारियों की तुलना में समुदाय के नियंत्रण को बढ़ाने वाले तकनीकों और साधनों का उपयोग बढ़ाने वाले नियमों को तैयार करने की जिम्मेदारी विभाग को लेनी चाहिये।
- **करों में सरलता और लोचकता को बढ़ावा** – ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को अन्य विभागों और संस्थाओं से विचार–विमर्श करते हुये इस प्रकार के करों का एक ढ़ाँचा तैयार करना चाहिये जिससे ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को स्वतः बढ़ावा मिले[1]। उदाहरण के लिये यदि किसी जमीन का अनुमण्डल के स्तर पर खरीद–बिक्री की जाय तो भी उसका एक

[1] विस्तृत विवरण के लिये प्रिया के द्वारा किये गये अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट देखें।

तय हिस्सा ग्राम पंचायत को स्वयं हस्तांतरित कर दिया जाय। इससे एक ओर ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ेगी और दूसरी ओर उनको संग्रह करने पर व्यय भी बहुत कम होगा।

- **प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता** – ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को अपने स्तर से राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधनों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिये। वर्तमान संदर्भ में ग्राम पंचायत के स्तर पर कम से कम एक कर निरीक्षक को नियुक्त करना जरूरी है। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर एक ऑडिटर की नियुक्ति भी नितान्त आवश्यक लगती है। इस प्रकार के मानव संसाधनों की प्रमुख जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित करना होना चाहिये। ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में ग्राम पंचायत के आय–व्यय का विवरण इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **अन्य विभागों से समन्वय** –राज्य में ग्रामीण विकास के लिये प्रमुख रूप से जिम्मेदार विभाग होने के नाते ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग को अन्य विभागों से ताल–मेल करना चाहिये। विभाग को मुख्य रूप से राजस्व, कृषि, वन, खनन, शहरी विकास, संस्थागत वित्त और सूचना प्रोद्योगिकी विभागों से ताल–मेल करते हुये इस प्रकार के दिशा–निर्देशों के बढ़ावा देने का काम करना चाहिये जिससे ग्राम पंचायतें मजबूत हों और स्थानीय लोगों के विकास के काम अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों के स्तर पर ही किये जायें।
- **राज्य वित्त आयोग का तत्पर होना** – वर्तमान समय में झारखण्ड में तीसरे राज्य वित्त आयोग के द्वारा अपनी अनुशंसा दी जानी है। अभी तक राज्य वित्त आयोग के द्वारा अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में कमी रही है। यही कारण है कि जहाँ अन्य राज्यों में ग्राम पंचायतों को उनके राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा से कुछ राशि मिल रही है वहीं झारखण्ड में ग्राम पंचायतों को यहाँ के राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर आज तक कोई राशि नहीं मिली है। ऐसे में सबसे पहले यह जरूरी है कि राज्य सरकार की ओर से एक सशक्त राज्य आयोग का गठन किया जाय। वर्तमान संदर्भ में राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्य की कुल आय के साथ ही जिला माइनिंग कोष, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अन्य कोषों में से ग्राम पंचायतों को कुछ राशि दिलाने की भी पुरजोर अनुशंसा की जानी चाहिये।

राज्य सरकार की ओर से एक और नीतिगत निर्णय लेते हुये ऐसी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये जिनके द्वारा अपने स्वयं की आय को बढ़ाने और उनके सभी आँकड़ों को सही तरीके से रखने का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा हो।

प्रिया के बारे में

प्रिया सहभागी शोध एवं प्रशिक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र है जिसकी स्थापना 1982 में हुई। अपने कार्यक्रमों को करने के लिये विश्व के स्तर पर प्रिया के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3000 गैर सरकारी संगठनों से साझेदारी है और देश के कई राज्यो में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

वर्तमान में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रिया के कार्यक्रमों का निम्न क्षेत्रो में हस्तक्षेप है:

- **लडकियों और महिलाओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने** के लिए एक अनुकुल माहौल बनाना और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज में ऐसी बाधाओ को खत्म करना जिससेघरों, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्पलेक्सों, सड़क, कार्यस्थल इत्यादि स्थानों पर लड़कियो और महिलाओ के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। 'कदम बढाते चलो' अभियान, जिसका सफल संचालन हरियाणा में ग्रामीण महिलाओ के खिलाफ हिंसा को रोकने में किया गया, युवाओ द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है जिसे अन्य स्थानों पर भी आरम्भ किया जा रहा है।
- **पेयजल और सफाई को सभी लोगों तक पहुचाने के लिये नये हल ढूंढने के काम** का केन्द्र बुनियादी सेवाओं को सही ढंग से वितरित करने, विशेषकर अनुसुचित जनजाति और शहरी गरीब बस्तियों में, करने पर है। प्रिया के द्वारा युवाओं की क्षमताओं और दक्षताओं को बढ़ाया जाता है, लडकियों और महिलाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे जेंडर संबंधित भेदभाव और विकृतियों को खत्म किया जा सके। शहरी गरीब समुदायो के युवा (लड़के और लड़कियाँ) नई तकनीकों जैसे जी.पी.एस. और मोबाईल फोन आधारित सर्वेक्षण इत्यादि को सीख रहे है, जिससे पेयजल और सफाई की सेवाओं के लिये नगर पालिकाओ को सामुदायिक फीडबैक दिया जा सके।
- **मानवीय और संस्थागत क्षमताओं** को बढ़ाना जिससे सरकारी, व्यावसायिक जगत के कामों को और पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीकों से किया जा सके और जेंडर को मुख्य धारा में लाने और महिलाओं के नेतृत्व को सक्षम बनाना जा सके। भारत और विश्व के दक्षिणी देशों, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से अल्प विकसित रहे हैं, इस तरह की क्षमताओं की कमी को विशेष रूप से हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)
42, तुगलकाबाद इंस्टिट्युशनल एरिया,
नई दिल्ली – 1100062
फोन– 91–11–2996 0931/32/33, फैक्स– 91–11–2995 5183
ई मेल– info@pria.org, वेब– www.pria.org

सहयोग

unicef | for every child